

छत्तीसगढ़ शासन,  
जल संसाधन विभाग,  
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर

क्रमांक-एफ-1-150/31/एस-2/2024/ 1195/  
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 12/03/2024

मुख्य अभियंता,  
हसदेव गंगा कछार,  
जल संसाधन विभाग,  
अंबिकापुर (छ.ग.)

- विषय :- जशपुर जिले के विकासखंड-बगीचा की साहीडांड एनीकट से सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना की प्रशासकीय स्वीकृति।
- संदर्भ :- प्र.अ.का पत्र क्र.-1645/बोधी/सौर सूक्ष्म/ह.क.ग./2023/1369, दिनांक 19.02.2024.

—00—

राज्य शासन एतद्वारा जशपुर जिले के विकासखंड-बगीचा की साहीडांड एनीकट से सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना हेतु लागत राशि रु. 1055.21 लाख (रुपये दस करोड़ पचपन लाख इक्कीस हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. योजना के निर्माण से 315 हेक्टेयर खरीफ एवं 140 हेक्टेयर रबी कुल 455 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।
  3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे।
  4. छत्तीसगढ़ विव्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय विव्तीय नियमों का पालन हो।
  5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-41, अनुसूचित जनजाति उपयोजना, लेखाशीर्ष-4702 लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {101}-सतही जल, 0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना, (3828)-लघु सिंचाई योजना, #97-निर्माण कार्य, 003-बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
  6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्र.-319/सी.एन.-31-00740/बजट-2/वित्त/चार/2024, दिनांक 07.03.2024 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
  7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
  8. योजना की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
- संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
( प्रेमसिंह घरेन्द्र )  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

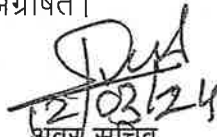
पृ.क्रमांक-एफ-1-150/31/एस-2/2024/1196/

अटल नगर, दिनांक 12/03/2024

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला-जशपुर (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, वि/यां. मिनीमाता बांगो संभाग माचाडोली, मुख्यालय-कटघोरा, जिला-कोरबा
14. कार्यपालन अभियंता, वि/यां. लाईट मशीनरी ट्यूबवेल एवं गेट उप संभाग, जिला-जशपुर (छ.ग.)।
15. आदेश फोल्डर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
 12/03/24  
 अवस सचिव  
 छत्तीसगढ़ शासन  
 जल संसाधन विभाग